Ex-186

संख्या– 479 / छः ना0सु0–13–110सीडी0 / 08

प्रेषक,

चन्द्रभानु ,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा नगर
उ0प्र0 ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ : दिनांकः 30 मई 2013

विषयः– वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों के नवीनीकरण के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–773 / छः ना0सु0 / 110सी0डी0 / 2010 दिनांक–21 जुलाई 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों के नवीनीकरण के संबध में है।

2– भारत सरकार द्वारा निर्गत नागरिक सुरक्षा अधिनियम–1968 में वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों को वार्डेन सेवा से पृथक किये जाने हेतु आयु सीमा के प्रतिबन्ध का प्राविधान नहीं है, अपितु सदस्यों का शारीरिक रूप से सक्षम एवं क्रियाशील होना अनिवार्य है।

नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों द्वारा आपदा प्रबन्धन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति व समाज में सद्भाव बनाये रखने में अपना अमूल्य सहयोग दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों के नवीनीकरण हेतु शारीरिक रूप से सक्षम रहते हुये भी 60 वर्ष की आयु सीमा का प्रतिबन्ध रखा जाना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित शासनादेश दिनांक–21 जुलाई 2010 को अतिक्रमित करते हुये नियंत्रक / जिलाधिकारी, नागरिक सुरक्षा निम्न तथ्यों को ध्यान रखते हुये वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों का नवीनीकरण की कार्यवाही अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेगें:–

1– अपने पिछले तीन वर्ष के कार्यकाल में सम्बन्धित सदस्य द्वारा सभी शर्तो को पूरा किया गया हो जो किसी भी व्यक्ति को नागरिक सुंरक्षा संगठन का पदाधिकारी बनने के लिये अनिवार्य हो।

2– उसने अपने कार्यकाल में अपने को दिये गये पद के अनुरूप अपेक्षानुसार योगदान दिया हो एवं संगठन की मूल भावना को आगे गति देने में किसी प्रकार का ऐसा कार्य न किया गया हो, जो संगठन के सिद्धान्तो की मूल भावना के प्रतिकूल हो।

3– आम जनता में सम्बन्धित पदाधिकारी की अपने कार्यकाल में आम ख्याति किसी भी प्रकार से प्रतिकूल न हो।

4– संगठन में सम्बन्धित पदाधिकारी की उपयोगिता में सन्देह स्थापित न होता हो।

5– नियंत्रक/जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों के नवीनीकरण के समय यह सुनिश्चित करेंगें कि जिस पदाधिकारी के कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाना है वह पदाधिकारी प्रथम दृष्टया देखने में शारीरिक रूप से सक्षम है।

6– इस बिन्दु पर भी ध्यान देने की आवश्कता है कि अवैतनिक पदाधिकारियों का नवीनीकरण एक रूटीन कार्य की भांति न किया जाये वरन् प्रत्येक प्रकरण में पदाधिकारियों के कार्यकलापों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय हो गये हैं एवं संगठन के कार्यकलापों में रूचि नहीं रखते हैं , उन्हे अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नोटिस देकर संगठन से पृथक करने की कार्यवाही भी की जाये।

शासन एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा को यह अधिकार प्राप्त होगा कि किसी प्रकरण में शिकायत मिलने पर सम्बन्धित पदाधिकारी के सुसंगत अभिलेख जिलाधिकारी से मंगा कर परीक्षण कर सकते हैं।

भवदीय,

24/5/13

(चन्द्रभानु)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 479(1)/छःना0सु0/13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक, नागरिक सुरक्षा ,उ0प्र0 ,जवाहर भवन लखनऊ।
2–समस्त उपनियंत्रकगण, नागरिक सुरक्षा ।
3–समस्त चीफ वार्डेन (द्वारा उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा)
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन पाल)
विशेष सचिव।